# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

*(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)*

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त **Accredited with 'A' Grade by NAAC**

**प्रो. आनन्द पाटील**
कुलसचिव (कार्यवाहक)
**Prof. Anand Patil**
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902


क्रमांक : 003/2003/का.आ./ 02/2025/ 128
दिनांक : 25.04.2025

## कार्यालयादेश

महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में इस समय भीषण ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के चलते तापमान में अत्यधिक वृद्धि, जल प्राधिकरण द्वारा जल आपूर्ति में कटौती, भू–जल स्तर में निरन्तर गिरावट तथा विश्वविद्यालय छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत एवम् रखरखाव कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवम् स्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (मुख्यालय) स्थित समस्त छात्रावासों की सुविधा (शोधार्थियों के आवंटित कक्षों को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश (दिनांक 06 मई 2025 से 19 जून 2025) की अवधि में अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेगी।

उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त स्नातक तथा परास्नातक अन्तेवासी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से छात्रावास रिक्त कर अपने गृह–नगर/ परिवारजन के पास प्रस्थान करना होगा।

सभी स्नातक तथा परास्नातक अन्तेवासी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 06 मई 2025 तक छात्रावास रिक्त करने की योजना बनाएँ तथा छात्रावास से सम्बन्धित आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करें। छात्रावासों से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी अथवा सहयोग हेतु सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक अथवा मुख्य छात्रावास अधीक्षक से सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त व्यवस्था विद्यार्थियों को सम्भावित असुविधाओं से बचाने एवम् उनके व्यापक हित में की जा रही है। मुख्य छात्रावास अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 06 मई 2025 की सायं तक छात्रावास रिक्त किये जाने सम्बन्धी विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

25/04/25

**(प्रो. आनन्द पाटील)**

**प्रतिलिपि (ई–मेल द्वारा):**

1. माननीय कुलपति सचिवालय
2. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण
3. कुलानुशासक
4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
5. प्रभारी, परिसर विकास
6. समस्त छात्रावास अधीक्षक
7. प्रभारी, लीला (वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने हेतु।)
8. सुरक्षा अधिकारी
9. रक्षित पत्रावली।